



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.



पत्रांक: प्रोरासिविवि/कुसका/2025-1092

दिनांक: 17 फरवरी, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या: 1/881927/2025/70-2099/28/2024 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु पूर्व में निर्धारित समय-सारिणी सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 3261/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी०सी० दिनांक: 27 दिसम्बर, 2024 को संशोधित करते हुए पुनः समय-सारिणी निर्धारित की गयी है-

क्र०सं०	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	-----
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक: 24 फरवरी, 2025
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक: 28 फरवरी, 2025 तक।
4	ऑनलाइन अनापत्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक: 10 मार्च, 2025 तक।
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक: 20 मार्च, 2025 तक।
6	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक: 30 मार्च, 2025 तक (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक: 22 मार्च, 2025 तक निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2025 तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक: 10 अप्रैल, 2025 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक: 20 अप्रैल, 2025 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक: 10 मई, 2025 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक: 31 मई, 2025 तक।

नोट: समस्त नवीन/पूर्व संचालित महाविद्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों के संचालनार्थ सम्बद्धता हेतु शासन के अनापत्ति/सम्बद्धता के पोर्टल <http://henoc.upsdc.gov.in> पर उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार आवेदन करते हुए विश्वविद्यालय की ई-मेल आई०डी०-registraraffiliation@prsuniv.ac.in पर सूचित करने का कष्ट करें।

ऐसे समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय जिन्हें वांछित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्राप्त

पता: मिर्जापुर रोड, नैनी, प्रयागराज, पिनकोड-211010 (उ०प्र०), फोन: 0532-2256207
Address : Mirzapur Road, Naini, Prayagraj, Pincode-211010 (U.P.) Ph. 0532-2256207





प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.



हो चुकी है तथा सत्र 2025-26 में सम्बद्धता प्राप्त की जानी है तथा ऐसे पूर्व संचालित महाविद्यालय जिन्हें सत्र 2024-25 तक सम्बद्धता प्राप्त थी अथवा सत्र 2024-25 में सम्बद्धता-विस्तरण प्राप्त था, वह सभी महाविद्यालय उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक: 22 मार्च, 2025 तक अनिवार्य रूप से करें।

महाविद्यालयों से यह भी अपेक्षित है कि सम्बद्धता हेतु किए गये ऑनलाइन आवेदन <http://henoc.upsdc.gov.in> के उपरान्त इसकी सूचना विश्वविद्यालय की ई-मेल registraraffiliation@prsuniv.ac.in पर प्रेषित किये जाने तथा महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाले आवेदन की हार्डकापी में निरीक्षण कराये जाने हेतु दो तिथियों का भी अनिवार्यतः उल्लेख करें जिससे कि निरीक्षण मण्डल के गठन के समय ही निरीक्षण मण्डल के सदस्य-सचिव/सदस्यों से उक्त तिथियों में निरीक्षण किये जाने हेतु अनुरोध किया जा सके।

सत्र 2025-26 में बिना सम्बद्धता के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा ससमय सम्बद्धता प्राप्त न होने एवं प्रवेश प्रतिबन्धित होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

भवदीय,

(संजय कुमार)
कूलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति जी।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज।
3. प्रभारी एजेन्सी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आज ही तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कूलसचिव

महत्वपूर्ण**संख्या-1/881927/2025/70-2099/28/2024**

प्रेशक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2लखनऊ: दिनांक 17 फरवरी, 2025

विषय:-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1968/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 09.10.2024 एवं संख्या-3261/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 27.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2024 एवं 27.12.2024 के माध्यम से निर्गत समय-सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	---
2.	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 24 फरवरी, 2025।
3.	अनापति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया	दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक।

	जाना।	
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 10 मार्च, 2025 तक।
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 मार्च, 2025 तक।
6.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 30 मार्च, 2025 तक। (1)अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2)तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 30 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 10 अप्रैल, 2025 तक।
8.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2025 तक।
9.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2025 तक।
10.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2025 तक।

3- शासनादेश दिनांक 09.10.2024 एवं 27.12.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उक्त समय-सारिणी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Sipu Giri

(शिपू गिरि) Date: 17-02-2025 12:55:18

विशेष सचिव।